"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 104] रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 मार्च 2023 — चैत्र 1, शक 1945

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2023 (चैत्र 1, 1945)

क्रमांक – 3790/वि.स./विधान/2023. – छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक, 2023 (क्रमांक 9 सन् 2023) जो बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2023 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता./–

(दिनेश शर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 9 सन् 2023)

छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक, 2023

विषय–सूची

विवरणी

खण्ड

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.
3. मीडियाकर्मियों की पंजी.
4. मीडियाकर्मी के रूप में पंजीकरण हेतु अर्हतायें.
5. मीडियाकर्मियों के पंजीकरण हेतु प्राधिकरण.
6. मीडियाकर्मी के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन.
7. मीडियाकर्मियों की पंजी से पंजीयन का निरस्तीकरण, विलोपन और परिवर्तन.
8. छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता, संरक्षण एवं संवर्धन समिति.
9. समिति सदस्यों का वेतन, मानदेय, भत्ते एवं अन्य सुविधायें
10. समिति के उद्देश्य एवं कार्य
11. समिति की साधारण शक्तियां
12. शासन, समिति को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा.
13. अनुचित अभियोजन से सुरक्षा.
14. अपचार एवं शास्ति.
15. कम्पनी द्वारा अपचार.
16. झूठी शिकायत पर कार्यवाही
17. विविध.
18. यह अधिनियम किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं करेगा.
19. इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी.

20. सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण.

21. समिति के कृत्यों एवं अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध अपील

22. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.

23. नियम बनाने की शक्ति.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 9 सन् 2023)

छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक, 2023

छत्तीसगढ़ राज्य में मीडियाकर्मी के रूप में उनके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान मीडियाकर्मियों के विरूद्ध हिंसा को रोकने तथा मीडियाकर्मियों या मीडिया संस्थानों की संपत्ति की क्षति या नुकसान होने से रोकने एवं इससे संबंधित और इसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक;

यतः, हिंसा का कार्य मीडियाकर्मियों के जीवन को क्षति या खतरा कारित करता है तथा मीडियाकर्मियों या मीडिया संस्थानों की संपत्ति की क्षति या नुकसान से राज्य में अशांति निर्मित हो सकती है;

और यतः, मीडियाकर्मियों के विरूद्ध हिंसा को रोकने तथा ऐसी हिंसक गतिविधियों से मीडियाकर्मियों या मीडिया संस्थानों की संपत्ति की क्षति या नुकसान होने से रोकने एवं इससे संबंधित और इसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करना आवश्यक हो गया है;

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा अधिनियम, 2023 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "**समिति**" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत मीडियाकर्मियों की सुरक्षा

हेतु गठित समिति; छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता, संरक्षण एवं संवर्धन समिति

(ख) **"आपात सुरक्षा उपाय"** से अभिप्रेत है ऐसी त्वरित कार्यवाही, पहल और सुरक्षा उपाय जो किसी मीडियाकर्मी को उत्पीड़न, संत्रास अथवा हिंसा के खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा योजना बनाने के पूर्व ही आवश्यकतानुसार प्रदान की जावे।

(ग) **"शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(घ) **"संचार मीडिया"** से अभिप्रेत है संसूचना का कोई भी माध्यम, जिसका उपयोग नियमित रूप से जानकारी प्रदाय करने, विचार एवं मत प्रकट करने के प्रयोजन के लिए किया जाता हो, जिसमें मुद्रण माध्यम (प्रिन्ट मीडिया) यथा समाचार पत्र, पत्रिकायें और वृत्तपत्र, श्रव्य दृश्य माध्यम (ऑडियो–विजुअल मीडिया) जैसे आकाशवाणी (रेडियो), सामुदायिक आकाशवाणी (कम्युनिटी रेडियो), सेटेलाइट टेलीविजन समाचार चैनल तथा समाचार पोर्टल; जो इस संबंध में शासन द्वारा बनाए गए नियमों के तहत पंजीकृत हो।

(ड.) **मीडिया स्थापन** से अभिप्रेत है पंजीकृत समाचार पत्र स्थापना, समाचार चैनल स्थापना, समाचार आधारित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्थापना, समाचार आधारित स्थापना अथवा समाचार पोर्टल स्थापना जो सरकार

द्वारा बनाये किसी नियम–कानून के तहत विधिवत पंजीकृत हो, एवं जनसामान्य के लिये व्यावसायिक रूप से जानकारी संकलन, प्रसंस्करण एवं प्रसार तथा जनमत संग्रहण के कार्य में संलग्न हो

(च) "मीडियाकर्मी" से अभिप्रेत है मीडिया स्थापन का कोई कर्मचारी या प्रतिनिधि और जिसमें शामिल है संपादक, लेखक, समाचार संपादक, उप संपादक, रूपक लेखक, प्रतिलिपि संपादक; संवाददाता, सम्पर्की, व्यंग्य चित्रकार, समाचार फोटोग्राफर, वीडियो पत्रकार, अनुवादक, शिक्षु/प्रशिक्षु मीडियाकर्मी, समाचार संकलनकर्ता अथवा स्वतंत्र पत्रकार, जो शासन के तत्समय में प्रभावशील मीडियाकर्मी अधिमान्यता नियमों के तहत स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अधिमान्यता हेतु अर्ह हो।

(छ) "समाचार संकलनकर्ता" से अभिप्रेत है प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें स्ट्रिन्गर या अभिकर्ता भी शामिल है, जो नियमित रूप से समाचार या जानकारी का संकलन कर, किसी मीडियाकर्मियों अथवा मीडिया संस्थापनों को प्रेषण करता है;

(ज) "अधिमान्य पत्रकार" से अभिप्रेत है ऐसा मीडियाकर्मी जिसे समाचार अथवा जानकारी संकलन में सुविधा की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा तत्समय प्रचलित अधिमान्यता नियमों के

तहत अधिमान्यता प्रदान की गई हो।

(झ) "मीडियाकर्मी, जिसे सुरक्षा की आवश्यकता है" से अभिप्रेत है कोई भी पंजीकृत मीडियाकर्मी, जो अपने व्यावसायिक उत्तरदायित्व निर्वहन के कारण किसी व्यक्ति के कृत्यों के द्वारा उत्पीड़न, संत्रास या हिंसा के खतरे का सामना कर रहा है तथा उसके तकनीकी सहयोगी स्टॉफ, वाहन चालक, निर्वचक, बाह्य प्रसारण वैन संचालक तथा सभी अन्य व्यक्ति शामिल हैं, जो पंजीकृत मीडियाकर्मी से जुड़े होने के फलस्वरूप किसी व्यक्ति के कृत्यों के द्वारा उत्पीड़न, संत्रास या हिंसा का सामना कर रहे हैं;

(ञ) 'सुरक्षा योजना' से अभिप्रेत है ऐसी योजना, जो इस अधिनियम के अंतर्गत मीडियाकर्मी की सुरक्षा हेतु समिति द्वारा बनाई गई हो;

(ट) 'सुरक्षा उपाय' से अभिप्रेत है ऐसे कृत्य, पहल और सुरक्षात्मक उपाय, जिसका उद्देश्य मीडियाकर्मी, जिसे सुरक्षा की आवश्यकता हो, को हिंसा, संत्रास या उत्पीड़न के खतरे से बचाने के लिये उठाया गया हो;

(ठ) 'विहित' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

(ड) **प्रताड़ना : प्रताड़ना** से अभिप्रेत है व्यावसायगत कार्य करने के फलस्वरूप किसी मीडियाकर्मी के विरूद्ध किया गया कोई भी शारीरिक अथवा मौखिक कृत्य जो उसे मानसिक या शारीरिक कष्ट दे तथा उसे व्यावसायिक दायित्वों के निर्वहन में बाधा

उत्पन्न करें।

(ढ) **हिंसा : हिंसा** से अभिप्रेत है किसी मीडियाकर्मी के व्यावसायिक दायित्वों के निर्वहन के फलस्वरूप उसके विरूद्ध किया गया शारीरिक हानि अथवा सम्पत्ति को नुकसान।

(ण) **संत्रास : संत्रास** का अर्थ वही होगा जैसा कि भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित किया गया हो।

(त) 'लोक सेवक' का वही अर्थ होगा जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 में वर्णित है;

(ध) **'मीडियाकर्मी की पंजी'** तथा **'पंजी'** से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत संधारित पंजी;

(न) **'पंजीकृत मीडियाकर्मी'** तथा **'मीडियाकर्मी के रूप में पंजीकृत'** से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति।

मीडियाकर्मियों की पंजी.

3. (1) शासन, विहित रीति में, मीडियाकर्मियों की पंजी संधारित करेगा।

(2) यह पंजी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 74 के अन्तर्गत एक लोक अभिलेख होगा।

(3) इस पंजी का प्रकाशन, इस हेतु निर्धारित वेबसाइट में विहित रीति से किया जायेगा।

(4) इस पंजी में किसी प्रकार के जोड़, विलोपन या सुधार की दशा में, उसे ऐसे किये जाने के तीस दिवस के भीतर, उक्त निर्णय की प्रभावशील तिथि

के साथ वेबसाइट में प्रदर्शित किया जायेगा।

(5) ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अर्ह हो, मीडियाकर्मी के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होगा।

मीडियाकर्मी के रूप में पंजीकरण हेतु अर्हतायें.

4. छत्तीसगढ़ में निवासरत एवं पत्रकारिता कर रहा ऐसा व्यक्ति, जिसे पत्रकारिता में कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो तथा अधोलिखित शर्तों की पूर्ति करता हो, मीडियाकर्मी के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र होगा :–

(क) ऐसा व्यक्ति, जिसका पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से मीडिया स्थापन द्वारा विगत तीन माह में समसामायिक घटनाओं पर न्यूनतम छः लेख/समाचार लेखक अथवा सहलेखक के रूप में उसके नाम से प्रकाशित हुये हों; अथवा

(ख) ऐसा व्यक्ति, जिसने विगत छः माह में किसी मीडिया स्थापन से समाचार संकलन के लिए न्यूनतम तीन भुगतान प्राप्त किया हो; अथवा

(ग) ऐसा व्यक्ति, जिसने समसामायिक घटनाओं पर फोटोग्राफ लिया हो, और जो मीडिया स्थापन द्वारा विगत तीन माह में न्यूनतम तीन बार प्रकाशित हुए हों; अथवा

(घ) ऐसा व्यक्ति, जिसे शासन द्वारा पत्रकार के रूप में अधिमान्यता प्राप्त हो अथवा ऐसा मीडियाकर्मी जो शासन के तत्समय में

प्रभावशील मीडियाकर्मी अधिमान्यता नियमों के तहत अधिमान्यता की अर्हता रखता हो।

(ड.) ऐसा व्यक्ति, जिसे मीडिया संस्थान ने उसे मीडियाकर्मी के रूप में अपने संस्थापन में कार्यरत होना प्रमाणित किया हो, जैसा कि इस अधिनियम की धारा 2 (ञ) में परिभाषित है ;

परन्तु यह भी कि समाचार पत्र–पत्रिकाओं में लेख प्रकाशन के आधार पर कोई भी शासकीय अर्धशासकीय/निगम/मंडल/निकाय अथवा शासन द्वारा पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से वित्त पोषित संस्था के अधिकारी/कर्मचारी मीडियाकर्मी के रूप में पंजीयन के लिये अर्ह नहीं होगा।

मीडियाकर्मियों के पंजीकरण हेतु प्राधिकरण.

5. (1) मीडियाकर्मियों के पंजीकरण के लिए मीडिया कर्मियों की सुरक्षा हेतु गठित समिति, पंजीकरण प्राधिकरण का कार्य करेगा।

(2) प्राधिकरण निम्नलिखित पर निर्णय लेने हेतु सक्षम होगी :–

(क) मीडियाकर्मी के रूप में पंजीकरण हेतु प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों पर;

(ख) मीडियाकर्मी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति के नवीनीकरण आवेदन पत्रों पर;

(ग) पंजी में जोड़, विलोपन अथवा परिवर्तन के सम्बन्ध में।

(3) प्राधिकरण, नियमो में किये गये प्रावधानानुसार तथा प्रत्येक तीन माह में कम–से–कम एक बार

अनिवार्य रूप से बैठक करेगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण, जैसा कि इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, के अलावा कोई भी लाभ अथवा हक प्रदान नहीं करेगा।

मीडियाकर्मी के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन.

6. (1) शासन इस अधिनियम के तहत निर्मित नियमों के अन्तर्गत मीडियाकर्मियों के पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्त करने, आवेदन पर निर्णय एवं प्राधिकरण के निर्णय से मीडियाकर्मी को अवगत कराने की प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

(2) ऐसे प्रत्येक मीडियाकर्मी, जिनका आवेदन स्वीकार किया गया हो, उन्हें विहित रीति में पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

(3) यह पंजीयन, अधिमान्य मीडियाकर्मियों के लिये पंजीयन तिथि से दो वर्ष की अवधि तथा अन्य मीडियाकर्मियों के लिये एक वर्ष की अवधि के लिये वैध होगा और उसका नवीनीकरण इतनी ही अवधि के लिए कराया जा सकेगा;

यदि नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की तिथि को, मीडियाकर्मी, धारा 4 के अन्तर्गत पंजीयन हेतु अर्हता रखता हो।

(4) किसी भी मीडियाकर्मी को स्वमेव पंजीकरण नवीनीकरण का अधिकार नहीं होगा।

मीडियाकर्मियों की पंजी से पंजीयन का निरस्तीकरण, विलोपन और परिवर्तन.

7. (1) प्राधिकरण, किसी भी व्यक्ति का पंजीयन निरस्त कर सकेगा और पंजी से उसका नाम विलोपित कर सकेगा, जहां वह ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचता है

कि इस प्रकार के पंजीकरण में त्रुटि थी अथवा पंजीयन तथ्यों को छिपाकर, असत्य रूप में अथवा छलपूर्वक प्रस्तुत कर कराया गया है।

(2) पंजीयन निरस्त करने और पंजी से नाम हटाने की कार्यवाही, स्व–विवेक से या विचार–योग्य विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होने पर की जा सकेगी;

परन्तु यह कि इस तरह की कार्यवाही, संबंधित मीडियाकर्मी को विहित रीति से सूचित किए बिना और सुनवाई का अवसर दिये बिना, नहीं की जा सकेगी। जॉच का निष्कर्ष आने तक पंजीयन अस्थई रूप से निलम्बित रखा जायेगा।

छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता, संरक्षण एवं संवर्धन समिति

8. (1) इस अधिनियम के शासकीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के नब्बे दिवस के भीतर, शासन, मीडियाकर्मियों की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन करेगा, जो मीडियाकर्मियों, जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है, की प्रताड़ना, धमकी या हिंसा या गलत तरीके से अभियोग लगाने और उनको गिरफ्तार करने संबंधी शिकायतों का निराकरण करेगी। यह समिति छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता, संरक्षण एवं संवर्धन समिति के नाम से जानी जायेगी।

(2) समिति का गठन निम्नानुसार होगा :–

(क) सेवानिवृत्त प्रशासनिक/पुलिस सेवा का अधिकारी जो शासन में सचिव स्तर से निम्न न हो ; अध्यक्ष

(ख) गृह विभाग द्वारा नामित अभियोजना शाखा

का अधिकारी जो संयुक्त संचालक से अन्यून न हो।

(ग) शासन द्वारा नामित शासकीय सेवक जो अपर संचालक पद से अन्यून न हो ; सदस्य सचिव

(घ) तीन मीडियाकर्मी, जिन्हें पत्रकारिता में निरन्तर दस वर्षों से अधिक का अनुभव हो तथा उनमें कम से कम एक महिला हो; सदस्य

परन्तु यह कि नामित मीडियाकर्मी, इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत होना चाहिए ;

परंतु यह और कि समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और कोई भी मनोनीत सदस्य इस समिति में निरंतर एक से अधिक अवधि के लिए मनोनीत नहीं किया जा सकेगा।

9 समिति के सदस्यों के परिलब्धियों/मानदेय तथा अन्य किन्हीं सुविधाओं का निर्धारण राज्य शासन द्वारा किया जायेगा। **समिति सदस्यों का वेतन, मानदेय भत्ते एवं अन्य सुविधायें**

10. (1) समिति के गठन का उद्देश्य संचार माध्यम के स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाये रखना और मीडियाकर्मियों को सुरक्षा प्रदान करते हुए संचार माध्यम के गुणवत्ता को बेहतर बनाना होगा। **समिति के उद्देश्य एवं कार्य**

(2) समिति अपने उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए निम्नलिखित कृत्यों का पालन कर सकेगी, अर्थात्:–

(क) मीडियाकर्मियों को उनके व्यवसायगत प्रताड़ना, संत्रास, उत्पीड़न, हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना।

(ख) अन्य ऐसे दायित्वों का निर्वहन जो शासन द्वारा समय–समय पर सौपे जाये।

समिति की साधारण शक्तियां

11 इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन या कोई जांच करने के प्रयोजन के लिए परिषद् को निम्नलिखित बातों के बारे में सम्पूर्ण भारत में वे ही शक्तियां होंगी जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन निहित हैं, अर्थात् :—

(क) व्यक्तियों को समन करना और हाजिर कराना तथा उनकी शपथ पर परीक्षा

(ख) दस्तावेजों का प्रकटीकरण और उनका निरीक्षण

(ग) साक्ष्य का शपथ पर लिया जाना

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपियों की अध्यपेक्षा करना

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

शासन समिति को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा.

12. (1) सभी शासकीय प्राधिकरणों और शासन द्वारा नियोजित व्यक्ति समिति द्वारा मांगी गयी सभी जानकारी प्रदान करेंगे, सिवाय उस सूचना के जिन्हें विधि द्वारा प्रकटीकरण से संरक्षण प्राप्त है।

(2) शासन इस अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई समिति के कार्य सम्पादन में यथावश्यक सहायता प्रदान करेगा।

(3) समिति द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई सुरक्षा योजना तथा आपात् सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को किया जायेगा, जो प्रचलित

अधिनियम/नियम/निर्देश के उपयुक्त प्रावधानों के प्रकाश में यथोचित निर्णय लेगा।

13. (1) जहां समिति का प्रथमदृष्टया मत है कि – अनुचित अभियोजन से सुरक्षा.

(क) सुरक्षा चाहने वाले मीडियाकर्मी के विरूद्ध आरोप, या जाँच के सम्बन्ध में आवश्यक है; या,

(ख) पूर्व से जारी जाँच, अन्वेषण या परीक्षण के विरूद्ध सुरक्षा चाहने वाले मीडियाकर्मी के द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त शिकायत की प्रकृति में आवश्यक है; या,

(ग) उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री की से आवश्यक है;

तो समिति संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को जॉच का पर्यवेक्षण एवं 15 दिवस के भीतर जॉच प्रतिवेदन सौपने के निर्देश दे सकेगी।

(2) यदि सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक जाँचोपरान्त जिला अभियोजन अधिकारी के परामर्श से यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रकरण अभियोजन वापसी योग्य है तो वह इसकी अनुशंसा समिति को कर सकेगा, जो अभियोजन वापसी हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के अनुरोध के साथ जॉच प्रतिवेदन राज्य शासन को अग्रेषित करेगी।

14. (1)(अ) यदि कोई लोक सेवक, इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों के अधीन अपने कर्तव्यों की जानबूझकर अवहेलना करता है, तो ऐसे लोक सेवक का कृत्य उस पर लागू आचरण नियमों की अवहेलना मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम अथवा लागू अन्य नियम के तहत विभागीय जॉच उपरांत नियमानुसार उपयुक्त अपचार एवं शास्ति.

शास्ति से दण्डित किया जा सकेगा।

(ब) यदि किसी मीडियाकर्मी के संत्रास, प्रताड़ना अथवा हिंसा का कारण कोई निजी व्यक्ति है तो समिति प्रकरण के परीक्षणोंपरांत एवं उभय पक्ष की सुनवाई पश्चात् रूपए 25 हजार के अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित कर सकेगी, जो बकाया भू–राजस्व की तरह वसूली योग्य होगा।

(2) जो कोई, इस अधिनियम के अधीन मीडियाकर्मी के रूप में पंजीयन के लिये पात्र व्यक्ति के पंजीकरण में सक्रिय रूप से अथवा किसी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न करता है या रोकने का प्रयास करता है, तो समिति उभयपक्षों की सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उसे रुपये पच्चीस हजार तक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगी, जो बकाया भू–राजस्व की तरह वसूली योग्य होगा।

(3) उप–धारा (1) एवं (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण के किसी सदस्य के विरुद्ध उसके शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में उसके द्वारा की गई या किये जाने के लिए आशायित किसी भी कृत्य के लिए, इस धारा के अधीन कोई भी शास्ति के लिये दायी नहीं बनाया जायेगा, यदि वह यह साबित करता है कि अपचार उसकी जानकारी के बिना घटित हुआ है अथवा अनाजाने में हुआ है।

- कंपनी द्वारा अपचार.

15. (1) यदि किसी मीडियाकर्मी के संत्रास, प्रताड़ना

अथवा हिंसा का कारण कोई कम्पनी है तो समिति प्रकरण के परीक्षणोंपरांत एवं उभय पक्ष की सुनवाई पश्चात् रूपए 10 हजार के अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित कर सकेगी। ;

परन्तु यह कि इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी व्यक्ति को शास्ति के लिये दायी नहीं बनायेगा, यदि वह यह साबित करता है कि अपचार, बिना उसकी जानकारी के घटित हुआ है अथवा उसने, ऐसे अपचार को घटित होने से रोकने के लिए, अपने स्तर पर सभी यथोचित प्रयास किये थे ;

परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति, केन्द्र शासन या राज्य शासन में नियोजित होने या उसके द्वारा कोई पद धारण करने के कारण किसी कम्पनी के संचालक के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जाता है या यथास्थिति, केन्द्र शासन या राज्य शासन के स्वामित्व के या उसके नियंत्रणाधीन कोई वित्तीय संस्थान है, तो ऐसी स्थिति में वह इस धारा के अधीन शास्ति के लिये दायी नहीं होगा।

(2) उप–धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपचार कम्पनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित हो जाता है कि यह अपचार कंपनी के किसी संचालक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ

है तो, ऐसी स्थिति में ऐसा संचालक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपचार के दोषी माने जायेंगे तथा वे अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित किये जाने के लिये दायी होंगे।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनार्थ,–

(क) 'कम्पनी' से अभिप्रेत है कोई निगमित निकाय तथा इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों के अन्य संगठन सम्मिलित है; तथा

(ख) फर्म के संबंध में 'संचालक' से अभिप्रेत है फर्म का भागीदार।

परन्तु यह भी कि समिति के समक्ष विचाराधीन किसी शिकायत प्रकरण पर, यदि उसी शिकायत पर, विधि अनुसार सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया जा कर विवेचना में लिया जाता है, उस स्थिति में, समिति द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

झूठी शिकायत पर कार्यवाही

16. इस आशय की मिथ्या इत्तला देना कि समिति का कोई सदस्य अथवा कोई लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिये करे :– जो कोई अपने पंजीकृत मीडियाकर्मी होने की हैसियत से उसे इस अधिनियम में प्राप्त संरक्षण का दुरूपयोग करने के लिये समिति को ऐसी इत्तला जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, इस आशय से देगा कि समिति या उसका कोई सदस्य अथवा लोक

सेवक को प्रेरित करे या यह संभाव्य जानते हुए देगा कि वह उसको प्रेरित करेगा कि समिति/सदस्य अथवा लोक सेवक :–

(क) कोई ऐसी बात करे या करने का लोप करे जिसे उस संबंध में, जिसके बारे में इत्तला दी गई है, तथ्यों की सही स्थिति का पता होता तो न करता या करने का लोप न करता, अथवा

(ख) ऐसे समिति/सदस्य अथवा लोक सेवक विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग करे जिस उपयोग से किसी व्यक्ति को क्षोभ या क्षति हो, तो ऐसी स्थिति में ;

यदि समिति शिकायत की जॉच में शिकायत झूठी पाती है तो, वह मीडियाकर्मी, प्रथम बार पंजीयन निरस्त किये जाने एवं द्वितीय बार समिति द्वारा अधिकतम रुपये दस हजार तक की शास्ति से दण्डित किया जा सकेगा।

विविध.

17. (1) समिति में मीडियाकर्मी, पंजीकृत मीडियाकर्मियों में से राज्य शासन द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।

(2) इस अधिनियम के अधीन मनोनीत व्यक्ति को शासन द्वारा साबित कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन गठित समिति एक मत

से निर्णय लेने का प्रयास करेंगे;

परन्तु यह कि जहां इस अधिनियम के अधीन गठित समिति एक मत से निर्णय नहीं ले पाते, तो निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जायेगा।

(4) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के दायित्वों के निर्वहन में संभावित रुचि के टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वह संबंधित निकाय के अध्यक्ष, संयोजक या सदस्य–सचिव को सूचित करेगा और प्रश्नाधीन प्रकरण के निर्णय में कोई भाग नहीं लेगा अन्यथा ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आने पर समिति द्वारा लिया गया निर्णय समिति अथवा शासन द्वारा अक्षम एवं शून्य माना जायेगा।

(5) शासन एक वेबसाइट संधारित करेगा, जिसमें पंजीकृत मीडियाकर्मियों, पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनपत्रों पर लिये गये निर्णय, प्राप्त शिकायत, शिकायत पर की गई कार्यवाही, निर्णय आदि की जानकारी दर्ज की जायेगी।

यह अधिनियम किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं करेगा.

18. इस अधिनियम के प्रावधान, किसी अन्य विधि के प्रावधानों, नियम, नीतिगत निर्णय, निर्देश, परिपत्र या शासकीय ज्ञापन, जो मीडियाकर्मियों के लाभ के लिए बनाये गये हैं अथवा मीडियाकर्मियों को कानून से बेहतर सुरक्षा देने के लिए बनाये गये हैं,

के अतिरिक्त होंगे, उनके अल्पीकरण में नहीं।

19. शासन, इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और इस अधिनियम के अधीन की गई शिकायतों, प्राप्त सूचनाओं और किये गये कार्यों के आंकड़ों को एकत्र करेगा और संधारित रखेगा। — इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी.

20. इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई या किये जाने के लिये आशयित किसी कार्य के लिये शासन या शासन के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी। — सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण.

21 समिति द्वारा अधिरोपित शास्ति या उसके किसी अन्य कृत्य के विरूद्ध नियमों में की गई विहित प्रक्रिया के तहत शासन द्वारा इस हेतु नामित प्राधिकारी को अपील की जा सकेगी। — समिति की शास्ति एवं कृत्यों के विरूद्ध अपील

22. (1) अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो शासन, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे प्रावधान कर सकेगा, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, और जो कठिनाई को दूर करने के लिये समय–समय पर आवश्यक प्रतीत होता हो ; — कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.

परन्तु यह भी कि इस अधिनियम के लागू होने के तीन वर्ष बाद ऐसे कोई भी आदेश जारी नहीं किये जा सकेंगे।

(2) इस धारा के अधीन दिये गये प्रत्येक आदेश को छत्तीसगढ़ विधानसभा के समक्ष रखा जायेगा।

नियम बनाने की शक्ति. 23. (1) शासन, इस अधिनियम के लागू होने के छः माह के भीतर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को कियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा।

(2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम में निम्नलिखित में से एक या अनेक के लिए उपबंध किये जा सकेंगे, अर्थात्:–

(क) समिति सदस्यों की मनोनयन प्रक्रिया;
(ख) मीडियाकर्मी के रूप में पंजीयन के लिए प्रारूप;
(ग) मीडियाकर्मी के पंजीयन का प्रारूप और दर्ज किए जाने वाले विवरण;
(घ) पंजीयन के लिए आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के निर्णय को संसूचित करने का तरीका;
(ङ) सदस्यता पंजीयन को रद्द करने के पूर्व सूचना का प्रारूप;
(च) समिति द्वारा सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए दिशा निर्देश के साथ साथ सुरक्षा उपाय के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तथा/या आपातकालीन सुरक्षा उपाय;
(छ) मीडियाकर्मी की शिकायत पंजीकरण करने का आवेदन पत्र प्रारूप
(ज) मीडियाकर्मी की शिकायत को स्वीकार करने, अस्वीकार करने अथवा निराकरण करने की प्रक्रिया तथा सूचना प्रारूप
(झ) शिकायत जॉच करने की विधि एवं प्रक्रिया
(ञ) इस अधिनियम के उचित प्रवर्तन के लिए आवश्यक कोई अन्य मामला।

(3) इस अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों को शासकीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के 12 माह के भीतर छत्तीसगढ़ विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

उद्देश्य और कारणों का कथन

यतः, छत्तीसगढ़ राज्य में मीडियाकर्मी के रूप में उनके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान मीडियाकर्मियों के विरूद्ध हिंसा को रोकने तथा मीडियाकर्मियों या मीडिया संस्थानों की संपत्ति की क्षति एवं नुकसान होने से रोकने एवं इससे संबंधित और इसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक;

और यतः, हिंसा का कार्य मीडियाकर्मी के जीवन को क्षति या खतरा कारित करता है तथा मीडियाकर्मियों या मीडिया संस्थानों की संपत्ति की क्षति एवं नुकसान से राज्य में अशांति निर्मित हो सकती है;

और यतः, मीडियाकर्मियों के विरूद्ध हिंसा को रोकने तथा ऐसी हिंसक गतिविधियों से मीडियाकर्मियों या मीडिया संस्थानों की संपत्ति की क्षति एवं नुकसान होने से रोकने एवं इससे संबंधित और इसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति की दृष्टि से, मीडियाकर्मी की सुरक्षा के संबंध में विधि को अधिनियमित किया जाना आवश्यक है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

रायपुर,
दिनांक 21 मार्च, 2023

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक, 2023 की धारा 8 एवं 9 के अनुसार छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता, संरक्षण एवं संवर्धन समिति के सदस्यों की परिलब्धियों/मानदेय तथा अन्य सुविधाओं राज्य की संचित निधि से प्रतिवर्ष कुल एक करोड़ रूपए व्यय अनुमानित है।

"संविधान के अनुच्छेद 207 (1) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक, 2023 के खंड–23 में विधायनी शक्ति के प्रत्यायोजन की संस्थापनायें है, जो सामान्य स्वरूप की है।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.